

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2015/टेली./11(2)/1

नई दिल्ली, दिनांक 09.07.2015

दूरसंचार परिपत्र सं. 9/2015

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलों, सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद  
महानिदेशक/अ. अ. एवं मा. सं. और रेलवे स्टाफ कॉलेज, महानिरीक्षक/रेल सुरक्षा विशेष बल  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीजल कलपुर्जा कारखाना, आईआरपीएमयू और छपरा एवं  
रायबरेली में स्थित नई उत्पादन इकाइयां  
निदेशक/आईआरआईएसईटी, आईआरआईसीईएन, आईआरआईईईएन, आईआरआईएमईई,  
आईआरआईटीएम  
अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड.

विषय: महाप्रबंधकों और महाप्रबंधक ग्रेड के अधिकारियों के सीयूजी कनेक्शनों पर 3जी/4जी  
सेवा शुरू करना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 21.05.2012 का पत्र सं. 2010/टेली/11(2)/2पार्ट.IV.

भारत में कुछ टेलीकॉम सर्कलों में 3जी/4जी सेवाएं शुरू होने से, बोर्ड (सदस्य बिजली) ने  
निम्नलिखित की स्वीकृति दी है:

- i) क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों अथवा रेलवे बोर्ड के अपर सदस्यों सहित महाप्रबंधक ग्रेड के  
अधिकारियों को उनके सीयूजी कनेक्शन पर 3जी/4जी सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति दी  
जाए।
  - (ii) 3जी/4जी सेवा के सब्सक्रिप्शन हेतु प्रत्येक सीयूजी कनेक्शन के लिए प्रति माह 599/- रुपए  
की अनुमति होगी, जोकि सीयूजी प्रभार की मौजूदा सीमा के अतिरिक्त है। इस व्यय को  
'राजस्व' में प्रभारित किया जाना चाहिए।
2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
  3. कृपया पावती दें।

OK



(हरीश पवारिया)  
निदेशक/दूरसंचार

दूरभा:011-23388504, 030-44613

फैक्स:011-23304690, 030-44690

ई-मेल:dtele@rb.railnet.gov.in

प्रतिलिपि :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियां)

रंगरथ

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त (व्यय) II और बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड
2. मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें
3. प्रबंध निदेशक/रेलटेल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए